

# न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)

(पीठासीन अधिकारी : श्री सुरेश कुमार ओला, (आई.ए.एस))

प्रकरण संख्या: 01/2021

दायर दिनांक :- 02-09-2021

निर्णय दिनांक :- 02-09-2021

“एस आर जी हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड” पंजिकृत कार्यालय 321, एस एम लोढा कॉम्प्लेक्स, शास्त्री सर्कल, उदयपुर (राज0) -----प्रार्थी

## बनाम्

- 1 श्री जगदीश रावल पुत्र श्री गौतमनाथ रावल जाति जोगी निवासी ग्राम आरा, तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर (राज0) पिन नं0 314024
- 2 श्रीमती पूंजी देवी पत्नी श्री जगदीश रावल जाति जोगी निवासी ग्राम आरा, तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर (राज0) पिन नं0 314024
- 3 श्री केशव लाल कलाल पुत्र श्री मणिलाल कलाल जाति कलाल निवासी ग्राम आरा, तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर (राज0) पिन नं0 314024 -----अप्रार्थी

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14

दी सिक्यूराईटेशन रिक्सटक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एसिटस एण्ड एनफोरामेन्ट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित:- श्री डायालाल पंचाल एडवोकेट प्रार्थी की ओर से

## आदेश

संक्षिप्त मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी “एस आर जी हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड” पंजिकृत कार्यालय 321, एस एम लोढा कॉम्प्लेक्स, शास्त्री सर्कल, उदयपुर (राज0) ने अप्रार्थी को दिनांक 12.12.2012 को रूपया 2,00,000/-की ऋण सुविधा नगद उधार ऋण के रूप मे दी थी। जिसके पुर्नभुगतान हेतु प्रार्थी “एस आर जी हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड” ने अप्रार्थी की सम्पत्ति रहन रखी, जिसका विवरण नीचे दर्ज है:- श्री जगदीश रावल पुत्र श्री गौतमनाथ रावल जाति जोगी निवासी ग्राम आरा, तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर (राज0) द्वारा “एस आर जी हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड” मे उपलब्ध रेकार्ड अनुसार बापी पट्टा नं0 90 दिनांक 25.01.2012 को जारी किया गया से सम्बन्धित सम्पत्ति दस्तावेज जिसके पूर्व मे श्री मणिलाल पिता गौतम कलाल का मकान, पश्चिम मे आम रास्ता, उत्तर मे श्री गटू पिता गोतम जोगी का मकान एवं दक्षिण मे श्री धनजी पिता गौतम जोगी का मकान के बीच स्थित है जिसमे भूमि, भवन, एवं ढांचा आदि जो भी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है उक्त सम्पत्ति को “एस आर जी हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड” पंजिकृत कार्यालय 321, एस एम लोढा कॉम्प्लेक्स, शास्त्री सर्कल, उदयपुर (राज0) के पास रहन किया है।

अप्रार्थी द्वारा नियमित रूप से उक्त ऋण का भूगतान नही चुकाया जिसकी वजह से उक्त खाता दिनांक 21.01.2015 को डिफाल्टर (एन.पी.ए.) घोषित कर दिया गया व अप्रार्थी के ऋण खाते मे रूपया 2,32,881 /-दिनांक 18.04.2016 तक ब्याज शामिल करते हुए तथा इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्चे बकाया निकलते है।

यह कि उक्त ऋण खाता दिनांक 21.01.2015 को डिफाल्टर घोषित होने से ऋणी को दिनांक 18.04.2016 को रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये परन्तु नोटिस प्राप्ति के पश्चात् भी अप्रार्थी द्वारा ऋण राशि जमा नही करवाई व न ही बंधकशुदा सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी "एस आर जी हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड" को दिया गया। प्रार्थी अप्रार्थी से जब तक सम्पूर्ण बकाया राशि का भूगतान नही हों जाता तब तक बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे सहित प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थी "एस आर जी हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड" ने उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभूगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी "एस आर जी हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड" को संभलवाने के लिए प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए प्रकट किया की अप्रार्थी ने उसके खाते मे देय राशि मय ब्याज के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस प्राप्त करने के बावजूद भी प्रार्थी "एस आर जी हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड" को जमा नही कराया है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत प्रार्थी "एस आर जी हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड" के पक्ष मे उक्त रहन रखी सम्पत्ति का अधिनियम के प्रावधान के अनुसार कब्जा प्रार्थी "एस आर जी हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड" को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश जारी करने की मांग की।

अप्रार्थीगण उपस्थित नही है और उन्हे नियमानुसार सुने जाने की आवश्यकता भी नही है, क्योकि यहाँ से कोई न्यायिक निर्णय नही किया जाना है।

हमने वकील प्रार्थी के बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी की सम्पत्ति को फाईनेन्स कम्पनी मे रहन रखकर दिनांक 12.12.2012 को रूपया 2,00,000 /-का ऋण प्राप्त किया था। अप्रार्थी ने उक्त ऋण भुगतान नही चुकाया जिसकी वजह से उक्त खाता दिनांक 21.01.2015 को डिफाल्टर घोषित कर दिया गया व अप्रार्थी के ऋण खाते मे रूपया 2,32,881 /-दिनांक 18.04.2016 तक ब्याज शामिल करते हुए तथा इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्चे बकाया निकलते है। उक्त ऋण खाता दिनांक 21.01.2015 को डिफाल्टर घोषित होने के कारण इस एक्ट की धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रार्थी "एस आर जी हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड" ने ऋणी (अप्रार्थी) को दिनांक 18.04.2016 को रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये परन्तु नोटिस प्राप्ति के पश्चात् भी अप्रार्थी द्वारा ऋण राशि जमा नही करवाई व न ही बंधक शुदा सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी "एस आर जी हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड" को दिया गया। अप्रार्थी द्वारा ऋण की सुरक्षा के एवज मे बंधक के रूप मे रखी गई उक्त आवासीय सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी "एस आर जी हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड" को दिलवाया जाना आवश्यक है।

अतः प्रार्थी फाईनेन्स कम्पनी द्वारा ऋणी से नियमित रूप से राशि जमा करवाने हेतु प्रयास किये गये तथा डिफाल्टर घोषित कर सरफेसी एक्ट 2002 की धारा 13(2) के तहत ऋणी को नोटिस जारी किया गया, किन्तु ऋणी द्वारा बावजूद नोटिस के अपेक्षित राशि जमा नहीं कराई गई। दी सिक्यूराईटेशन रिक्सटक्शन ऑफ फाईनेनिशियल एसिटस एण्ड एनफोर्मेन्ट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 14(2) की प्रदत्त शक्तियों के तहत "एस आर जी हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड" पंजिकृत कार्यालय 321, एस एम लोढा कॉम्प्लेक्स, शास्त्री सर्कल, उदयपुर (राज0) का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थी "एस आर जी हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड" को बंधक रखी गई सम्पत्ति श्री जगदीश रावल पुत्र श्री गौतमनाथ रावल जाति जोगी निवासी ग्राम आरा, तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर (राज0) द्वारा "एस आर जी हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड" में उपलब्ध रेकार्ड अनुसार बापी पट्टा नं0 90 दिनांक 25.01.2012 को जारी किया गया सें सम्बन्धित सम्पत्ति दस्तावेज जिसके पूर्व में श्री मणिलाल पिता गौतम कलाल का मकान, पश्चिम में आम रास्ता, उत्तर में श्री गटू पिता गोतम जोगी का मकान एवं दक्षिण में श्री धनजी पिता गौतम जोगी का मकान के बीच स्थित है जिसमें भूमि, भवन, एवं ढांचा आदि जो भी सम्पत्ति के अभिन्न अंग हैं उक्त सम्पत्ति को "एस आर जी हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड" पंजिकृत कार्यालय 321, एस एम लोढा कॉम्प्लेक्स, शास्त्री सर्कल, उदयपुर (राज0) के पास रहन किया है को अप्रार्थी से प्राप्त कर जरिये पुलिस अधिक्षक डूंगरपुर प्रार्थी "एस आर जी हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड" पंजिकृत कार्यालय 321, एस एम लोढा कॉम्प्लेक्स, शास्त्री सर्कल, उदयपुर (राज0) को सम्भलाये जाने के आदेश दिये जाते हैं। प्रार्थी फाईनेन्स कं0 को आदेशित किया जाता है कि वह निर्णय की प्रति विपक्षी ऋणी को उपलब्ध कराने की तिथि से एक माह की अवधि तक अपेक्षित राशि जमा कराने का अवसर दिया जावे। विपक्षी ऋणी द्वारा यदि एक माह में भी अपेक्षित राशि जमा नहीं कराने की स्थिति में उक्त आदेश की क्रियान्विति की जावे। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधिक्षक डूंगरपुर को अग्रिम कार्यवाही हेतु अग्रेषित की जाती है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर आदेश आज दिनांक 02-09-2021 को सुनाया जाकर पत्रावली फैसल में शुमार हो।



(सुरेश कुमार ओला)  
जिला कलक्टर,  
डूंगरपुर